दुष्कर्म व हत्या के दोषी पति और दोस्त को आजीवन कारावास

जासं ● श्रावस्तीः दोस्त के साथ पत्नी संग दुष्कर्म व हत्या करने के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। चार लाख चालीस हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सत्येंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि शाहपुर शिवदीन निवासी मोबिन अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था। वह मुंबई में मजदूरी करने गया था। पत्नी मायके में थी। छह दिसंबर 2016 को उसने पत्नी को फोन कर मायके से घर बुलाया और कहा कि कुछ सामान भेजा है उसे रख देना। पत्नी अपने नाबालिग भाई के साथ ससुराल पहुंची तो पति वहां मौजूद था। रात में पति घर से बाहर चला गया। कुछ देर बाद पत्नी को फोन कर कहा कि पानी ले आओ मुझे खेत में शौच जाना है। पत्नी पानी लेकर खेत की ओर गई तो उसका छोटा भाई भी एक वर्षीय बेटी को लेकर साथ में चला गया। खेत में पहले से मौजूद मोबिन अपने दोस्त समीर के साथ उसे जंगल में खींच ले गया, जहां दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद पिटाई शुरू कर दी। एक हाथ काट दिया और गला रेतकर हत्या कर दी। शव झाड़ी में फेंक दिया था। घटना के बाद दोनों आरोपित मुंबई भाग गए। आठ दिसंबर को जंगल से शव बरामद हुआ था। विवेचना में मोबिन व समीर का नाम प्रकाश में आया। आरोप पत्र न्यायालय पर भेजा गया। विचारण अपर सत्र न्यायालय(क्राइम अगेंस्ट वूमेन) के न्यायालय पर हुआ। एडीजे निर्दोष कुमार ने मोबिन व उसके दोस्त समीर को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।

बलात्कार और हत्या में दो को आजीवन कारावास

श्रावस्ती। दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले दो आरोपियों को न्यायालय की ओर से आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही दोनों को दो लाख 70 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया। आठ साल पहले दोनों ने 20 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी थी।

सिरसिया थाना क्षेत्र के शाहपुर पूरेशिवदीन निवासी मोबिन पुत्र समीउल्लाह व समीर उर्फ हग्गन पुत्र अब्दुल गफ्फार ने क्षेत्र के एक गांव निवासी 20 वर्षीय एक युवती के साथ बलात्कार कर किया था। इसके साथ ही दोनों ने युवती की हत्या कर शव को छिपा दिया था। पुलिस ने आठ दिसम्बर 2016 को दोनों के विरुद्ध दुष्कर्म कर हत्या करने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था। साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस ने विवेचना पूरी की और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। जिसके बाद मामले का विचारण शुरू हुआ।

दोस्त संग पत्नी से दुष्कर्म व हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास

संवाद न्यूज एजेंसी

4.40 लाख रुपये अर्थदंड न दिया तो होगी दो वर्ष की अतिरिक्त कैद

श्रावस्ती। दोस्त के साथ मिलकर पत्नी से दुष्कर्म व हत्या के दो दोषियों को सोमवार न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही चार लाख 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अदालत से

सिरसिया थाना क्षेत्र के ग्राम बेचुवा निवासी ने ग्राम शाहपुर शिवदीन निवासी मुबीन के विरुद्ध छह दिसंबर 2016 को स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसका दामाद मुबीन उसकी पुत्री पर शक करता था। मुबीन मुंबई में मजदूरी करने गया था जहां से छह दिसंबर को फोन कर पत्नी को मायके से ससुराल बुलाया। इसके बाद मुबीन पत्नी को अपने दोस्त समीर के साथ जंगल ले गया। जहां दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म कर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।

इस दौरान आरोपी ने मृतका का एक हाथ भी काट दिया। बाद में शव को झाड़ी में फेंक दिया। इसके बाद दोनों आरोपी मुंबई भाग गए। महिला का शव आठ दिसंबर को जंगल से बरामद हुआ था। पुलिस ने पति मुबीन व उसके दोस्त समीर के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र भेजा था।

इसके विचारण के बाद सोमवार को अपर सत्र न्यायालय (क्राईम अगेंस्ट वूमेन) निर्दोष कुमार ने मुबीन व समीर को दुष्कर्म व हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व चार लाख 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में अभियोजन की पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर आरोपियों को दो वर्ष की अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।